R.M.M. Law College, Saharsa.
Nareshji Anand
LL.B Part - IInd
Papor - 1st (Muslim Law)
Family Law

मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति के संरक्षक कौन हो सकता है?

मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क की सम्पत्ति की संरक्षकता को निम्नलिखित तीन भागों में वर्णन किया जा सकता है;-

(1) नैसर्गिक या विधिक संरक्षक.
(2) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक;
(3) वस्तुतः संरक्षक।

(1) नैसर्गिक या विधिक संरक्षक -

सम्पत्ति की संरक्षकता अवयस्क के पिता में निहित होती है, उसके रहते हुए कोई अन्य व्यक्ति अनुयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नहीं होता है। "पिता के न रहने पर सुन्नी विधि के अनुसार अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक उसके द्वारा नियुक्त निष्पादक में निहित होता है। यदि पिता निष्पादक की नियुक्ति किये बगैर मर जाय और उसका पिता जीवित हो तो अवयस्क विशुओं के सम्पत्ति की संरक्षकता पितामह में निहित होती है।" यदि पितामह भी मर जाय और वह एक निष्पादक नियुक्त किये हो जो वयस्क एवं स्वस्थ हो तो संरक्षकता

पितामह के निष्पादक में निहित होती है। इस प्रकार सुन्नी विधि में निम्नलिखित व्यक्ति वरीयता - क्रम में अवयस्क की सम्पत्ति के संरक्षक होते हैं:-

(1) पिता,
(2) पिता के वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक,
(3) पिता के पिता
(4) पितामह के वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक।

शिया विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक पिता होता है और तत्पश्चात पितामह, और इन दोनों में से जो बचा है वह अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

ध्यान देने योग्य यह है कि सम्पत्ति की संरक्षकता उत्तराधिकार क्रम में आये सभी रक्त संबन्धी नातेदारों में जैसा कि शरीर की संरक्षकता में होता है, निहित नहीं होती है, और शिया विधि के अंतर्गत पिता द्वारा पितामह को वैध संरक्षक के कार्य करने से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।

अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक या निष्पादक वसीयत द्वारा नियुक्त करने के हकदार जो व्यक्ति हैं, वे हैं पिता और पितामह। अतएव माता द्वारा, भाई द्वारा या चाचा द्वारा नियुक्त निष्पादक किसी अवयस्क की सम्पत्ति का वैध संरक्षक के कार्य करने या निष्पादक हो सकता है।

वसीयती संरक्षक :- 'वसीयत संरक्षक' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो पिता या पितामह की वसीयत

द्वारा नियुक्त निष्पादक पदेन अवयस्क की सम्पत्ति का विधिक संरक्षक होता है। किन्तु पिता या पितामह को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निष्पादक एक व्यक्ति को और सम्पत्ति का संरक्षक दूसरे को।

(2) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक— यदि उपर्युक्त विधिक कोई संरक्षक न हो तो न्यायालय किसी व्यक्ति को अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति का आदेश देते समय न्यायालय अवयस्क के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगा। दिल्ली, इलाहाबाद तथा जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि संरक्षक की नियुक्ति में यद्यपि मुस्लिम विधि को ध्यान रखना होगा। तथापि मुख्य विचारणीय विषय बच्चे के कल्याण का ही होगा। बच्चे के कल्याण में उसका सांसारिक और आध्यात्मिक कल्याण दोनों सम्मिलित है। ऐसा विचार कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वाद में अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक अवयस्क के चाचा को न बनाकर अवयस्क की माता को ही बनाया।

क्या-क्या अवयस्क के कल्याणार्थ होगा इसे निश्चित करने में न्यायालय अवयस्क की आयु, लिंग, धर्म तथा प्रस्तावित संरक्षक की क्षमता और चरित्र तथा उसका अवयस्क से नजदीकी रिश्ता, मृत पिता या माता की इच्छाएँ, यदि कोई हो, को अवश्य विचार करेगा। जहाँ अवयस्क इस आयु का हो कि वह अपनी कोई

दूसरा प्रकट कर सके कि उसका संरक्षक कौन हो तो वहाँ अभिभावक के विचारों का भी ध्यान न्यायालय रख सकता है।

नईम बाद असलम बनाम यासमीन बाई के केस में, दोनों पक्षों का विवाह मुस्लिम विधि की रीति रिवाज के अंतर्गत 12 वर्षों पूर्व हुआ था एवं उपरांत पति-पत्नि के संयोग से एक लड़का आफताब तथा लड़की आइशा पैदा हुई जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष एवं 3 1/2 वर्षों की थी और पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाने के कारण पति ने पत्नी को तलाक दे दिया तथा पत्नी बच्चों सहित गाँव जाकर 29.6.92 से अलग रहने लगी। इसके पश्चात पति ने संरक्षक एवं संरक्षण अधिनियम 1890 की धारा 10 के अंतर्गत बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। नोटिस जारी होने के उपरांत भी न्यायालय में पत्नी के उपस्थिति नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पत्नी के विरुद्ध पारित कर दिया। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध पत्नी के पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र पर उसका बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। तथा पति का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध विविध अपील पति ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारीता में प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया। न्यायालय

Scanned with CamScanner

ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत रिमाण्ड करते हुए विचार अभिव्यक्त किया कि पक्षकारों को अवयस्क आफताब के हित पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात निर्णय दिया जाय साथ ही न्यायालय ने लड़की आशमा के बालिग होने तक माता की अभिरक्षा में बने रहने का आदेश पारित किया।

(3) वस्तुतः संरक्षक :- वस्तुतः या 'de facto' का अर्थ है यथार्थ में, और वस्तुतः संरक्षक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो न तो विधिक संरक्षक हो और न ही न्यायालय द्वारा नियुक्त। फिर भी वह अवयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध इस प्रकार करने लगता है मानो कि वह स्वयं संरक्षक हो। विधि की दृष्टि से वस्तुतः संरक्षक अवयस्क के सम्पत्ति का अभिरक्षक मात्र होता है। अवयस्क की माता, भ्राता, चाचा आदि वस्तुतः संरक्षक ही होते हैं; जब तक कि पिता या पितामह की वसीयत द्वारा उन्हें निष्पादक नहीं बनाया गया हो। वस्तुतः संरक्षक शब्द, विधिक संरक्षक का विलोम के अर्थ में होता है।

मयमिन सिद्दीकी बनाम मुहम्मद जौमन पारेख कुली एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम अवयस्क की सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पिता की अनुपस्थिति में अन्य विधिक रूप से मान्यता प्राप्त संरक्षक विक्रय करने के लिए

(6)

सक्षम है परंतु पिता के मृत्यु के पश्चात न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया था तथा माता के सम्पत्ति को किया। उक्त विक्रय को उनवैध इस आधार पर माना गया कि माता ने अवयस्क की सम्पत्ति विक्रय करने के पूर्व न्यायालय से अनुमति नहीं प्राप्त की थी। अतः विक्रय निरस्त किया गया।

Scanned with CamScanner